महाराष्ट्र राज्य

बनाम

गजानन उर्फ हेमंत जनार्दन वानखेड़े

फौजदारी अपील संख्या 492/200

जुलाई 09, 2008

बैंचः डा. अरजीत पासयत एवं पी. सतशिवम

दण्ड संहिता 1860 एसएस 363, 366 व 376 दोषसिद्धि और सजा- अपील में उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया, इस आधार पर की पीडित लडकी की सहमति थी और उसकी उम्र 16 वर्ष से अधिक थी आयोजित निष्कर्ष पीड़िता की जन्मतिथि के बारे में उच्च न्यायालय ने अनुमान लगाया था- रिकार्ड पर सबूतों का कोई विश्लेषण नही किया गया था और उच्च न्यायालय अचानक निष्कर्ष पर पहुंचा, जो ज्यादातर अनुमानों पर आधारित था- आरोपी को शेष सजा काटने का निर्देश दिया गया।

विचारण कोर्ट ने प्रत्यर्थी को आईपीसी की धारा 363,366 व 376 एसएस के तहत क्रमशः 5, 4 और 03 साल की दोषी ठहराते हुए कठोर कारावास की सजा सुनाई। पीड़िता लडकी की शिक्षा नगर निगम के एक स्कूल में 7 वी कक्षा तक हुई। स्कूल छोडने के प्रमाण पत्र में उसकी जन्मतिथि 04.06.1976 बताई गई थी और प्रत्यर्थी द्वारा उसके अपहरण की घटना कथित तौर पर 21.04.1991 हुई थी।

हालांकि, उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी को यह कहते हुए बरी कर दिया कि पीड़िता लडकी की सहमति थी और उसकी उम्र 16 वर्ष से अधिक थी। उच्च न्यायालय ने माना कि चूंकि चिकित्सकीय साक्ष्य से ज्ञात हुआ कि लडकी की उम्र 14 वर्ष से अधिक और 16 वर्ष से कम है, जिसमें एक वर्ष की त्रुटि का अन्तर है इसलिए स्कूल छोडने का प्रमाण पत्र और स्कूल रजिस्टर का कोई महत्व नही है।

इस न्यायालय में की गई अपील में, राज्य के द्वारा यह निवेदित किया गया कि पीड़िता की जन्म तिथि के बारे में उच्च न्यायालय ने उपधारणा की है।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए-

अभिनिर्धारित 1.1 उच्च न्यायालय ने माना कि सही जन्मतिथि दर्ज नही की गई है और केवल स्कूल छोडने के प्रमाण पत्र में दर्शाया गया है कि पीड़िता की जन्मतिथि 04.06.1976 थी। गवाहों के सक्ष्य से संकेत मिलता है कि प्रवेश कुंडली के आधार पर किया गया था। उच्च न्यायालय ने माना कि चूंकि कुंडली प्रस्तुत नही की गई थी इसलिए अभियोजन पक्ष अपना मामला स्थापित करने में विफल रहा है। उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यानि स्कूल छोडने का प्रमाण-पत्र और स्कूल रजिस्टर को खारिज करने का कोई कारण नही बताया गया है। स्कूल प्रधानाचार्य ने भी विचारण न्यायालय के समक्ष गवाही दी और रिकॉर्ड पेश किए। उच्च न्यायालय ने माना कि स्कूल रजिस्टर में प्रविष्टि प्रधानाचार्य की लिखावट में नही थी और वह जन्म तिथि के बारे में गवाही नही दे सकता था। उच्च न्यायालय के पास यह निष्कर्ष निकालने का कोई आधार नही था कि प्रविष्टि को संदेह से परे नही माना जा सकता है। (मद संख्या ०५) (546-जी,एच 547-ए,बी व सी)

1.2 प्रधानाचार्य के साक्ष्य और मूल स्कूल छोडने के प्रमाण-पत्र और स्कूल रजिस्टर के आधार पर जो प्रस्तुत किये गये थे, उच्च न्यायालय ने

अचानक निष्कर्ष निकाला कि आम तौर पर विभिन्न धारणो से अभिभावक स्कूल में प्रवेश के समय अपने बच्चों की उम्र कम बताते है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई सामग्री या आधार नही था। इसके विपरीत किसी सबूत के अभाव में उच्च न्यायालय को यह नही मानना चाहिए कि अभियोक्तरी की जन्मतिथि स्थापित नही हुई है और स्कूल छोडने का प्रमाण-पत्र और स्कूल रजिस्टर निर्णायक नही है। जन्म की तिथि के बारे में जिरह में पीड़िता से कोई सवाल नही किया गया। उच्च न्यायालय ने यह भी नोट किया कि प्रवेश के समय कोई भी दस्तावेज नही था, कथित रूप से कुंडली को पेश किया गया था। विधार्थी के प्रवेश के समय उसकी उम्र के दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नही था।

व्यहारिक रूप से अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य की कोई विवेचना नही की गई है एवं अनुमान के आधार पर इस संबंध में अक्समात निष्कर्ष निकाला गया है अंतिम एवं अनिवार्य निष्कर्ष के अनुसार उच्च न्यायालय का निर्णय अस्वीकार/अरक्षणीय होने से अपास्त किये जाने योग्य है। प्रत्यर्थी शेष कारावास की सजा भुगतने के लिए स्वयं को समर्पित करेगा। (मद संख्या ०५) (547-सी,डी,ई,एफ व जी)

फौजदारी अपील क्षैत्राधिकार- फौजदारी अपील संख्या 492/2001

उच्च न्यायालय बोम्बे की नागपुर बैंच की फौजदारी अपील संख्या 355/1994 में प्रसारित अंतिम निर्णय एवं आदेश दिनांक 30.03.2000 से उत्पन्न।

रविन्द्र केशवराव एडश्योर अपीलार्थी की ओर से

मनीष पटेल एवं वी. एन रघपंते प्रत्यर्थी की ओर से

न्यायालय का आदेश द्वारा प्रसारित किया गया-

डा. अरजीत पासयत, जे.

1. यह अपील बोम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर बैंच के विद्वान एकलपीठ के द्वारा प्रत्यर्थी को द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, अमरावती के द्वारा प्रसारित दोषसिद्धी एवं दण्डादेश के निर्णय को अपास्त करते हुए प्रत्यर्थी को दोषमुक्त किये जाने के विरूद्ध दाखिल की गई है। प्रत्यर्थी को दफा 363,366,376 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में क्रमशः 5 वर्ष, 4 वर्ष एवं 03 वर्ष एवं अर्थदण्ड के दण्ड से एवं दण्ड के व्यतीक्रम में निर्धारित दण्ड से दण्डित किया गया है।

2. इस आपराधिक प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य अग्रवर्णितानुसार है।

अभियोक्तरी पुत्री परिवादी अम्बा प्रसाद मिश्रा अमरावती के मांगीलाल भूखण्ड में अपने परिवार के साथ निवास करती थी अभियुक्त/प्रत्यर्थी भी उसी क्षैत्र का निवासी था। अभियोक्तरी 7 कक्षा तक पढी हुई थी एवं उसके द्वारा नगरपालिका विद्यालय संख्या 05, अमरावती में अध्ययन के लिए प्रवेश लिया गया था। राजकीय दस्तावेजों में उसकी जन्मतिथि 04.06.1976 दर्ज थी एवं उसे अपहरण किये जाने की घटना दिनांक 21.04.1991 को घटित हुई थी, इस प्रकार घटना के दिवस एवं सुसंगत समय पर उसकी उम्र 14 वर्ष 10 माह एवं 17 दिवस थी। दिनांक 21.04.1991 को अभियुक्त के द्वारा अभियोक्तरी को सचिन नामक व्यक्ति के माध्यम से विद्यालय के पास बैग लेकर पहुंचने का संदेश प्रेषित किया था, उसके उपरांत अभियोक्तरी उस स्थान पर चली गई। अभियोक्तरी एवं सचिन ऑटो रिक्शा के द्वारा अभियुक्त की दादी के निवास स्थान चिन्चफेल क्षैत्र में चली गई। वे रात्रि 1 बजे वहां पहुंचे, अभियुक्त के द्वारा अपनी अटैची को अपने साथ लिया गया और उसके उपरांत अभियुक्त, अभियोक्तरी एवं सचिन ऑटोरिक्शा के द्वारा बान्द्रा रेल्वे स्टेशन पहुंचे। सचिन बान्द्रा रेलवे स्टेशन से अमरावती वापस चला गया एवं अभियुक्त एवं अभियोक्तरी नागपुर ट्रेन के द्वारा चले गए, वे नागपुर 5.00 बजे पहुंचे उसके बाद

वे झांसी गए। वे दोनों झांसी 4-5 बजे के मध्य पहुंचे एवं लता नामक आरोपी की बहन के घर पर गए। वे दोनो आरोपी की बहन के घर के एक कमरे में अलग से 8-10 दिवस तक रहे। इस अवधि में अभियुक्त के द्वारा अभियोक्तरी के साथ प्रत्येक रात्रि को शारीरिक संबंध स्थापित किया गया। उसके बाद वे दोनों झांसी से बिचौना गए और एक राजपूत व्यक्ति के घर पर 3-4 दिवस तक रूके एवं अभियुक्त के द्वारा अभियोक्तरी के साथ दो बार शारीरिक संबंध स्थापित किया गया। उसके बाद वे दोनों बिचौना से मुंडई चले गये। वे दोनों मुंडई में किसी नर्मदा प्रसाद के घर पर डेढ माह तक रूके, मुंडई से आरोपी एवं अभियोक्तरी चिन्चखेड नागपुर एवं अमरावती होते हुए आरोपी की बहन के घर 4-5 दिवस तक रूके। उसके बाद वे दोनों चिन्चखेड से नागपुर में आरोपी के दोस्त के घर पर 20 दिवस तक रूके। अभियुक्त इस अवधि में श्रमिक के रूप में कार्य करता था। उसके उपरांत आरोपी एवं अभियोक्तरी पुनः चिन्चखेड आए और एक दिवस वहां रूके उसके उपरांत वे दोनो कटसूर चले गये। वे दोनो कटसूर में अभियुक्त की मामी के घर 4-5 दिवस तक रूके। उसके उपरांत वे दोनों परतवाडा आए और उसके पश्चात् वे दोनों तेलेगांव में अभियुक्त की चाची के घर पर रूके । वे दोनों तेलेगांव से दिल्ली चले गए। चूंकि दिल्ली में उस व्यक्ति के घर पर उनका रूकना था, उसका पता उन्हें मालूम नही था, ऐसी स्थिति में वे दोनों पुन तेलेगांव वापिस चले गए। इस अवधि में प्रत्येक दिवस अभियुक्त के द्वारा अभियोक्तरी के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया गया। इस अवधि में तेलेगांव में अभियोक्तरी के पिता एवं राजापेठ अमरावती की पुलिस वहां पहुंची, अभियोक्तरी के बयान लेखबद्ध किए गए एवं उसे अपने साथ ले जाया गया।

इसी दौरान घटना के अगले दिवस अर्थात् दिनांक 22.04.1991 को अभियोक्तरी के पिता को उसकी पुत्री के अभियुक्त के द्वारा व्यपहरण की जानकारी होने के उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अपराध संख्या 184/1991 दफा 363 एवं 366 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीबद्ध करवाई गई। उसके उपरांत दिनांक 28.08.1991 को आरोपी एवं अभियोक्तरी को तेलेगांव में तलाश किया

गया एवं अभियुक्त को गिरफतार किया गया। अभियोक्तरी को अमरावती के महिला चिकित्सालय में उसकी चिकित्सकिय परीक्षण हेतु भेजा गया। चिकित्सकीय अधिकारी के द्वारा उसके परीक्षण के उपरांत योनिच्छद फटा हुआ पाया, वह शारीरिक संबंध स्थापित करने के लिए अभ्यस्त थी एवं वह चार से छः सप्ताह की गर्भवती थी। अभियुक्त की गिरफतारी के उपरांत उसे भी चिकित्सकीय अधिकारी से चिकित्सकीय परीक्षण हेतु भेजा गया एवं उसे चिकित्सकीय अधिकारी के द्वारा शारीरिक संबंध स्थापित करने के लिए सक्षम एवं योग्य पाया गया। बालिका की हड्डी बनने की जांच चिकित्सकीय अधिकारी के द्वारा की गई एवं उसकी उम्र-14 से 16 वर्ष के मध्य होना पाई गई। अभियुक्त का विकिरण परीक्षण करवाने के उपरंात उसकी उम्र-20 वर्ष के आस-पास पाई गई। प्रकरण में आवश्यक अनुसंधान संचालित करने के उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 363,366 एवं 376 में आरोप पत्र दाखिल किया गया।

प्रकरण को सेशन न्यायालय में कमिट किया गया, प्रत्यर्थी के द्वारा स्वयं को निर्दोष होने एवं अपराध में झूठा फसाये जाने का बचाव किया गया एवं विचारण प्रारम्भ किया गया।

अभियुक्त ने धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में पूर्ण रूप से आरोप से इन्कारी की। उसके द्वारा अभियोक्तरी शर्मिला को अपने साथ ले जाने एवं उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने से इन्कारी की गई। अभियुक्त के द्वारा यह कथन किया गया कि अभियोक्तरी का उसके साथ प्रेम संबंध हैं एवं जब उसके माता पिता को इस तथ्य की जानकारी हुई तो, अभियोक्तरी के माता-पिता अपनी पुत्री का विवाह बलपूर्वक किसी अन्य युवक से करना चाहते थे । अभियोक्तरी के माता-पिता अभियुक्त को निम्न जाति का होने के कारण पसंद नही करते थे, क्योंकि अभियोक्तरी का परिवार उच्च जाति से संबंधित है। इसलिए उनके द्वारा अभियुक्त को मिथ्या रूप से इस प्रकरण में संलिप्त किया

गया है। विकल्प में, यह भी कथन किया गया कि अभियोक्तरी के साथ उसकी सहमति से संबंध स्थापित किये गये हैं।

विचारण न्यायालय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि अभियोक्तरी की उम्र-16 वर्ष थी, ऐसी स्थिति में अभियोक्तरी की सहमति का कोई महत्व नही था। उच्च न्यायालय के द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि इस प्रकरण में सहमति थी एवं अतिरिक्त रूप से बालिका 16 वर्ष से अधिक उम्र की थी। चिकित्सक पी.ड. 09 की साक्ष्य के संदर्भ में यह मत पारित किया कि चिकित्सकीय साक्ष्य के अनुसार बालिका की उम्र-14 वर्ष से अधिक एवं 16 वर्ष से कम थी, जो एक वर्ष के एररमार्जिन में थी विद्यालय का रजिस्टर एवं विद्यालय का लिविंग सर्टिफिकेट का कोई महत्व नही। उक्तानुसार आरोपी को दोषमुक्त करने का निर्देश दिया गया।

3. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उच्च न्यायालय का नतीजा एवं निष्कर्ष पूर्ण रूप से गलत है। उच्च न्यायालय के द्वारा पीड़िता की जन्म तिथि के निर्धारण के संबंध में उपधारणा की गई है।

4. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि चिकित्सकीय साक्ष्य स्पष्ट रूप से दस्तावेजी साक्ष्य की प्रमाणितता के आधार पर की गई थी एवं विद्वान एकलपीठ न्यायाधीश के दोषमुक्ति के आदेश को गलत नही ठहराया जा सकता हैं।

5. अविवादित रूप से विद्यालय के अभिलेख में पीड़िता की जन्म तिथि 04.06.1976 अंकित की गई है विद्यालय को छोडने के प्रमाण पत्र प्रदर्श पी. 25 में एवं विद्यालय रजिस्टर में उक्त स्थिति को दर्शित किया गया है उच्च न्यायालय के द्वारा यह देखा गया कि विद्यालय छोडने के रजिस्टर में जन्म तिथि 04.06.1976 अंकित की गई है। इसी प्रकार यह भी देखा गया कि पीड़िता के पिता के द्वारा यह कथन किया गया कि उनकी पुत्री की उम्र- 14 वर्ष

है । उच्च न्यायालय के द्वारा यह माना गया कि पीड़िता की सही जन्मतिथि दर्ज नही की गई हेै एवं केवल मात्र विद्यालय छोडने की प्रमाण पत्र में उसकी उम्र- 04.06.1976 दर्ज की गई है। साक्षीगण के बयान के अनुसार जन्मपत्री के आधार पर उक्त प्रविष्टि की गई है। उच्च न्यायालय के द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि चूंकि जन्मपत्री न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही की गइ है, ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रकरण को साबित नही किया गया है। उच्च न्यायालय के द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य जैसे विद्यालय छोड़ने के प्रमाण-पत्र, विद्यालय रजिस्टर को नजर अंदाज करने का कोई कारण प्रकट नही किया गया है। विचारण न्यायालय के समक्ष विद्यालय के प्रधानाध्यापक की साक्ष्य अभिलेख के आधार पर लेखबद्ध की गई है उच्च न्यायालय के द्वारा यह मत पारित किया गया कि विद्यालय रजिस्टर में की गई प्रविष्टि प्रधानाचार्य हस्तलिखित नहीं है और उनके द्वारा साक्ष्य में जन्मतिथि के बारे में कथन नही किया गया है। उच्च न्यायालय के द्वारा इस नतीजे पर पहुंचने का कोई आधार प्रकट नही किया गया है कि प्रविष्टि को संदेह की सीमा से परे नही माना जा सकता। उच्च न्यायालय के द्वारा प्रधानाचार्य की साक्ष्य एवं दस्तावेजात विधालय छोडने के प्रमाण पत्र एवं विद्यालय रजिस्टर को मध्यनजर रखते हुए अकस्मात रूप से यह निष्कर्ष दिया हैं कि सामान्यतः अनेक कारणों से अभिभावकों के द्वारा अपने बच्चों के विद्यालय मे प्रवेश के समय उम्र दर्ज करवाई जाती है, इस प्रकार इस निष्कर्ष में कोई तात्विकता नही है। उच्च न्यायालय के द्वारा किसी कॉन्टेररी साक्ष्य के अभाव में इस नतीजे पर नही पहंुचना चाहिए कि अभियोक्तरी की जन्म तिथि प्रमाणित नही होती है एवं विद्यालय छोडने का प्रमाण पत्र एवं विद्यालय रजिस्टर निश्चायक नही है। स्वीकृत रूप से पीड़िता के प्रतिपरीक्षण में उसकी जन्म तिथि के संबंध में कोई प्रश्न नही पूछा गया है। उच्च न्यायालय के द्वारा यह भी देखा गया कि पीड़िता के प्रवेश के समय कोई दस्तावेज पेश नही किया गया था एवं तथाकथित रूप से जन्मपत्री को कथित रूप से पेश किया गया था। विद्यालय को विद्यार्थी के

प्रवेश के समय दस्तावेज पेश किये जाने की कोई आवश्यकता नही होती है। व्यवहारिक रूप से अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य की कोई विवेचना नही की गई है एवं अनुमान के आधार पर इस संबंध में अकस्मात निष्कर्ष प्रसारित किया गया हैं। अन्तिम एवं अनिवार्य निष्कर्ष के अनुसार उच्च न्यायालय का निर्णय अस्वीकार/अरक्षणीय होने से अपास्त किये जाने योग्य है। प्रत्यर्थी शेष कारावास की सजा भुगतने के लिए स्वयं को समर्पित करेगा।

6. अपील अनुज्ञात की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी राजकुमार शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने
उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी
मान्य होगा।